

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2023—कार्तिक 12, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा पूर्व नाम राजेश कासलीवाल पिता कमल कुमार जैन (कासलीवाल) जो कि अब मैं, अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम राजेश जैन पिता श्री कमल कुमार जैन दर्ज करवाना चाहता हूँ, अब मैं, भविष्य में राजेश जैन पिता श्री कमल कुमार जैन नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम राजेश जैन पिता श्री कमल कुमार जैन व राजेश कासलीवाल पिता कमल कुमार जैन एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम राजेश जैन पिता श्री कमल कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम

(राजेश कासलीवाल)

पिता-कमल कुमार जैन (कासलीवाल)

(G-2097)

नया नाम

(राजेश जैन)

पिता-श्री कमल कुमार जैन.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सगुन है जो मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. मेरा सही नाम श्रीमती शकुंतला कुशवाह (Sakuntala Kushwah) पत्नी स्व. श्री मंगल सिंह कुशवाह (Mangal Singh Kushwah) निवासी-गुडा गुडी का नाका, कुशवाह मोहल्ला, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.) है. अतः मुझे भविष्य में मेरा सही नाम श्रीमती शकुंतला कुशवाह पत्नी स्व. श्री मंगल सिंह कुशवाह के नाम से ही शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना-पहचाना, पुकारा एवं लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सगुन)

(G-2098)

नया नाम

(शकुंतला कुशवाह)

पत्नी-स्व. मंगल सिंह कुशवाह.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा पूर्व नाम विनोद पिता श्री हरगोविन्द धनवानी (पुराना नाम) जो कि अब मैं, अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम अनिल धनवानी पिता श्री हरगोविन्द धनवानी (नया नाम) दर्ज करवाना चाहता हूँ, अब मैं, भविष्य में अनिल धनवानी पिता श्री हरगोविन्द धनवानी (नया नाम) नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम अनिल धनवानी पिता श्री हरगोविन्द धनवानी (नया नाम) व नाम विनोद पिता श्री हरगोविन्द धनवानी (पुराना नाम) एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम अनिल धनवानी पिता श्री हरगोविन्द धनवानी (नया नाम) के नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम

(विनोद)

पिता-श्री हरगोविन्द धनवानी

(G-2099)

नया नाम

(अनिल धनवानी)

पिता-श्री हरगोविन्द धनवानी,

पता- 26-2, ब्रम्हपूरी कॉलोनी, भोला राम उस्ताद मार्ग,

पिपल्याराव, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है, कि मेरा पूर्व नाम रमेशचन्द्र झंवर (RAMESHCHANDRA JHAWAR) जो कि अब मैं, अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम रमेश झंवर (RAMESH JHAWAR) पिता श्री गोपी किशन झंवर दर्ज करवाना चाहता हूँ, अब मैं, भविष्य में रमेश झंवर (RAMESH JHAWAR) पिता श्री गोपी किशन झंवर नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम रमेशचन्द्र झंवर (RAMESHCHANDRA JHAWAR) व नाम रमेश झंवर (RAMESH JHAWAR) पिता श्री गोपी किशन झंवर एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम रमेश झंवर (RAMESH JHAWAR) पिता श्री गोपी किशन झंवर के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम

(रमेशचन्द्र झंवर)

(RAMESHCHANDRA JHAWAR)

(G-2100)

नया नाम

(रमेश झंवर)

(RAMESH JHAWAR)

पिता-श्री गोपी किशन झंवर.

नाम परिवर्तन

मैं, मंगलदाश गौरीशंकर महाराज (MANGALDASH GAURISHANKAR MAHARAJ) पुत्र गौरीशंकर सौणुदास महाराज सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पूर्व का नाम मानसिंह गोस्वामी (MAN SINGH GOSWAMI) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि मुझे मंगलदाश गौरीशंकर महाराज पुत्र गौरीशंकर सौणुदास महाराज के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक खाता इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम मानसिंह गोस्वामी के स्थान पर मंगलदाश गौरीशंकर महाराज लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मानसिंह गोस्वामी)

(G-2101)

नया नाम

(मंगलदाश गौरीशंकर महाराज)

पुत्र- गौरीशंकर सौणुदास महाराज,

पता- म.नं. 14 बैरू गांव डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms " M/S. GITA FILLING STATION " Add. Village Hadkal Khati, Bina Sagar (M.P.), Partner-1, Navin Jhariya, Sheetal Nagar, Nanak Ward, Bina Distt. Sagar (M.P.), Partner-2, Gourav Hakumat Sahni, Plot No. 298/A, Anand Nagar Lashkar Gwalior (M.P.) vide Registration No. 06/09/02/0157/19, dated 25-02-2019 has been undergone for dissolution w.e.f. 29.09.2023. All please be informed.

For M/S. GITA FILLING STATION,
NAVIN JHARIYA (PARTNER-1)
GOURAV HUKUMAT SAHNI (PARTNER-2).

(G-2102)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि हमारी फर्म M/S. Nishant Enterprises Refactories Unit 20 फेस 2 लमतारा कटनी मुडवारा कटनी (म.प्र.) पंजीयन क्र. 04-15-03-0263-16 वर्ष 2015-2016 दिनांक 23 फरवरी 2016 से फर्मों के रजिस्ट्रार जबलपुर संभाग जबलपुर में पंजीकृत है।

जिसमें दो पार्टनर निम्न अनुसार थे-

1. दीपक कुमार होतवानी S/o स्व. श्री हरगुनदास होतवानी
2. संजय कुमार होतवानी S/o स्व. श्री हरगुनदास होतवानी

दिनांक 11 सितम्बर 2023 से हमारी फर्म का नाम परिवर्तित कर फर्म M/S. Nishant Enterprises Refactories Unit कर दिया गया है तथा दोनों भागीदार यथावत रहेंगे. अतः आज दिनांक 11 सितम्बर 2023 से हमारी फर्म को M/S. Nishant Enterprises Refactories Unit के नाम से ही जाना जाए.

For M/S. Nishant Enterprises Refactory Unit,
(दीपक कुमार होतवानी)
 भागीदार

(G-2103)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियंका गर्ग (PRIYANKA GARG) पत्नी भारत भूषण गर्ग सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे घर का नाम रुचि गर्ग (RUCHI GARG) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे प्रियंका गर्ग पत्नी भारत भूषण गर्ग के नाम से जाना, पहचाना जाता है जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम रुचि गर्ग के स्थान पर प्रियंका गर्ग लिखा एवं पढा जावे.

पुराना नाम
(रुचि गर्ग)

नया नाम
(प्रियंका गर्ग)
 पत्नी- भारत भूषण गर्ग
 पता- 461/1 हरगोविन्दपुरम यूनिवर्सिटी रोड,
 ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2104)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती माधुरी वर्मा पत्नी स्व. श्री अभिनव कुमार वर्मा की पुत्री का नाम उसके स्कूल रिकॉर्ड में जीवल प्रजापति दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम जीवल प्रजापति के स्थान पर दीपिका प्रजापति करवाना

चाहती हूँ, अतः इस नाम परिवर्तन सूचना के प्रकाशन के बाद मेरी पुत्री का नाम जीवल प्रजापति के स्थान पर दीपिका प्रजापति ही जाना— पहचाना, पढ़ा— लिखा व सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

(G-2105)

CHANGE OF NAME

I, Sayoni Roy Zutshi wife of Shubhranshu Zutshi, inform the general public that before marriage, my name was Sayoni Roy, daughter of Goutam Roy, which is mentioned in all my education documents/government/semi-government and other documents. I have been married to Shubhranshu Zutshi, according to Hindu customs.

After marriage my name has become Sayoni Roy Zutshi. At present and in future, I have been and will be called by name Sayoni Roy Zutshi, therefore, my name in educational, government/semi government and other documents, will be Sayoni Roy Zutshi instead of Sayoni Roy and should be written and read.

OLD NAME
(SAYONI ROY)

प्रार्थिनी
श्रीमती माधुरी वर्मा,
पत्नी स्व. श्री अभिनव कुमार वर्मा,
पता— बी 55, गोविन्दपुरी, ग्वालियर

NEW NAME
(SAYONI ROY ZUTSHI)
Wife of Shubhranshu Zutshi
37, Vankhandeshwar Nagar, Thathipur,
Gwalior (M.P.).

(G-2106)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अशोक विश्वास (Ashok Vishwas) दर्ज हो गया है जोकि गलत है. अतः मेरे सभी शासकीय—अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक विश्वास (Ashok Biswas) दर्ज है जो कि सही है. अतः मुझे मेरे सही नाम अशोक विश्वास (Ashok Biswas) के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(अशोक विश्वास)
(Ashok Vishwas)

नया नाम
(अशोक विश्वास)
(Ashok Biswas)

(G-2107)

पता—म.न. 182 फुंगा, जिला अनुपपुर, (म.प्र.).

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद्

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)
High Court Premises, Jabalpur (M. P.)

SBC/MP/SUPDT./ELECTION 3439/2023

जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

NOTIFICATION

It is hereby notified for general information of all concerned that Hon'ble Member Shri Pratap Chandra Mehta was passed away on 30-09-2023 and after his death vacancy of one member has been occurred in State Bar Council of Madhya Pradesh and as requires under rule 31(A) " FILLING OF CASUAL VACANCIES" of State Bar Council of Madhya Pradesh Election rules 1968, casual vacancy will be filled first by the last person to be eliminated in the previous election.

Rule 31(A):

- (i) Casual vacancies occurring amongst members of the State Bar Council of Madhya Pradesh Shall be filed on the basis of election result in the previous election.
- (ii) Casual vacancy will be filled first by the last person to be eliminated in the previous election provided he is qualified to be elected as members of the bar Council in accordance with the

provisions of section 3(2) (b) of the Advocates Act, 1961.

- (iii) In case the last person to be eliminated is not qualified to be elected the candidate who has been eliminated prior to the elimination of last candidate and so on shall be elected to fill up the casual vacancy.
- (iv) In case the number of candidate in the 1st election did not exceed the total number to be elected according to rule II of these rules, the casual vacancy shall be filled by nominating any Advocate on the rolls of the Council subject to provisions of section 3(2) (b) of the Advocates Act.

Shri Khiladi Lal Gangore, Enrollment No 1322/2001, Indore (M.P.) was in waiting list no. 26th in the last election.

Therefore, as per the direction given by Hon'ble Chairman of State Bar Council of Madhya Pradesh Shri Prem Singh Bhadouria in exercise of the powers conferred in rule 109 of Chapter XVII of the State Bar Council Of Madhya Pradesh, Rules, Shri Khiladi Lal Gangore, Enrollment No 1322/2001, Indore (M.P.) have been declared elected as Member of State Bar Council of Madhya Pradesh.

GEETA SHUKLA, Officiating Secretary.

(G-2108)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म Shuddham Milk Products, जिसका कार्यालय पता- 27, Raghunath Nagar, E-8, Extension Huzur, Dist- Bhopal (M.P) में स्थित है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 01-01-01-0108-20, दिनांक 13 अगस्त 2020 में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश में पंजीयन है, दिनांक 21 सितम्बर 2023 को फर्म के सभी भागीदार अपनी इच्छा से भागीदारी फर्म को भंग कर रहे हैं, आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है.

M/S Shuddham Milk Products,

(Achal Gupta)

भागीदार

27, Raghunath Nagar, E-8, Extension Huzur,

Dist- Bhopal (M.P).

(G-2109)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पासबुक एवं आफिस के रिकार्ड में मेरा नाम रमेश आत्मज हीरामन हो गया है. मेरा वास्तविक नाम भाईदास आत्मज रामा सुनोने है जो कि अन्य दस्तावेजों सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम भाईदास आत्मज रामा सुनोने दर्ज है इसलिए मेरे पासबुक एवं आफिस के दस्तावेजों में मेरा नाम भाईदास आत्मज रामा सुनोने किया जाये.

पुराना नाम

(रमेश आ. हीरामन)

(RAMESH S/o HEERAMAN)

नया नाम

(भाईदास आ. रामा सुनोने)

(BHAI DAS S/o RAMA SONONE)

पता- म.नं. 191, न्यू बस्ती बागमुगालिया,
भोपाल (म.प्र.)

(G-2110)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शाइन एग्रो फूड्स जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0105-23 वर्ष 2023-24 दिनांक 12 जुलाई 2023 को पंजीबद्ध है. उक्त फर्म का पता EC- 17, Plot 21, MP Nagar Zone 2 Bhopal 462011 से बदलकर Plot No. 109, 110, 111 Industrial Area Kiratpur Madhya Pradesh हो गया है. अब उक्त फर्म में वर्तमान में कुल 4 भागीदार है जो निम्न है. (1) श्रीमती रितु सिंगला, (2) श्री बलदेव कुमार, (3) श्रीमती परवीन, (4) श्री लवली कुमार. अब भविष्य में उक्त फर्म का पता Plot No- 109, 110, 111, Industrial Area Kiratpur Madhya Pradesh, रहेगा जिसमें चारों भागीदार द्वारा फर्म का संचालन किया जाएगा.

M/S SHINE AGRO FOODS,
(Baldev Kumar)
Partner

(G-2111)

नाम परिवर्तन

मैं छोटा बैरवा पुत्र श्री शम्भू लाल बैरवा निवासी ग्राम जैनी पोस्ट मानपुर, तहसील व जिला श्योपुर सूचित करता हूँ कि भविष्य में मुझसे संबंधित हर प्रकार के दस्तावेजों में मेरा नाम छोटा बैरवा की जगह विष्णु बैरवा लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(छोटा बैरवा पुत्र शम्भू लाल बैरवा)

(विष्णु बैरवा पुत्र शम्भू लाल बैरवा)

(G-2112)

नाम परिवर्तन

मैं, GULAB CHAND BAMANIYA S/O NEHRU LAL BAMANIYA निवासी- ई- 431 ओल्ड मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड भोपाल (म.प्र.) का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम GULAB CHAND BAMANIA S/O NEHRU LAL BAMANIA दर्ज है तथा मेरे कुछ दस्तावेजों मेरा नाम GULAB CHAND BAMANIYA S/O NEHRU LAL BAMANIYA दर्ज है जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम GULAB CHAND BAMANIA S/O NEHRU LAL BAMANIA दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम GULAB CHAND BAMANIYA S/O NEHRU LAL BAMANIYA पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(GULAB CHAND BAMANIA)
S/O NEHRU LAL BAMANIA

(GULAB CHAND BAMANIYA)
S/O NEHRU LAL BAMANIYA

(G-2113)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चित्रा शर्मा पत्नि श्री प्रवीण शर्मा (Chitra Sharma W/o Praveen Sharma) आयु 41 वर्ष, निवासी-506, ए-5 सेक्टर, सिल्वर स्टेट वर्टिका, कटारा हिल्स, भोपाल, बागमुंगालिया, भोपाल म.प्र. मेरा पुराना नाम चित्राक्षी शर्मा था जो कि मैं अब अपने नये नाम चित्रा शर्मा पत्नि श्री प्रवीण शर्मा (Chitra Sharma W/o Praveen Sharma) के नाम से जानी जाऊंगी एवं मैं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में चित्रा शर्मा पत्नि श्री प्रवीण शर्मा (Chitra Sharma W/o Praveen Sharma) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा.

पुराना नाम

नया नाम

(चित्राक्षी शर्मा)

(चित्रा शर्मा)

(CHITRAKASHI SHARMA)
पत्नि श्री प्रवीण शर्मा

(CHITRA SHARMA)
W/O PRAVEEN SHARMA

(G-2114)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाकर्ता को सरोज खटीक उर्फ राजकुमारी दोनों नाम से जाना जाता है मेरे समस्त दस्तावेजों आधार पंजीयन, पेनकार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम सरोज खटीक अंकित है एवं परिवार आई.डी. में भी मेरा नाम सरोज खटीक है परंतु मेरे पुत्र रंजीत के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम घर का राजकुमारी अंकित है जो कि मेरा ही नाम है इसलिए मेरे पुत्र रंजीत पुत्र रामप्रकाश खटीक की सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम मेरे आधार पंजीयन के अनुसार राजकुमारी की जगह सरोज खटीक के नाम से लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजकुमारी)

नया नाम
(सरोज खटीक)
पत्नी- श्री रामप्रकाश खटीक
निवासी- फड़ का पुरा, वार्ड नं. 14,
बानमोर, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-2115)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आर्मी के डोक्यूमेंट में मेरे नाम की स्पेलिंग SHRINIVAS SINGH THOMAR S/O CHANDAN SINGH THOMAR दर्ज हो गयी है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में मेरे नाम की स्पेलिंग SHRINIWAS SINGH TOMAR S/O CHANDAN SINGH TOMAR दर्ज है जो कि सही है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नाम की सही स्पेलिंग SHRINIWAS SINGH TOMAR S/O CHANDAN SINGH TOMAR से ही जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा व उपयोग किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(SHRINIVAS SINGH THOMAR)

(SHRINIWAS SINGH TOMAR)
S/O CHANDAN SINGH TOMAR
निवासी- रणधीर कॉलोनी, भिण्ड रोड़,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2116)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कशिश सीतलानी पत्नी श्री सुनील सीतलानी मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में मनीषा होतचंदानी दर्ज है. मैं अपना नाम मनीषा होतचंदानी के स्थान पर कशिश सीतलानी करवाना चाहती हूँ. विवाह उपरांत मेरा नाम मनीषा होतचंदानी के स्थान पर कशिश सीतलानी ही जाना, पहचाना, पढ़ा, लिखा व सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

कशिश सीतलानी,
पत्नी- श्री सुनील सीतलानी,
पता- 7, महाकाल सिन्धी कॉलोनी, उज्जैन (म.प्र.).

(G-2117)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व का नाम हेमा देवी कस्तवार (Hema Devi Kastwar) पुत्री श्री रमेश कुमार कस्तवार था तथा अब वर्तमान में विवाह पश्चात् मैं, अपना परिवर्तित नाम श्रीमती अंजली मिश्रा (Smt. Anjlee Mishra) पत्नि श्री सागर मिश्रा करवाना चाहती हूँ.

पुराना नाम

(हेमा देवी कस्तवार)
(Hema Devi Kastwar)
पुत्री श्री रमेश कुमार कस्तवार

नया नाम

(अंजली मिश्रा)
(Anjlee Mishra)
पत्नि श्री सागर मिश्रा

(G-2118)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री जुबेरिया खान (JUVERIYA KHAN) का नाम बदलकर अनुश खान (ANUSH KHAN) रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्री को अनुश खान (ANUSH KHAN) के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

(जुबेरिया खान)

नया नाम

(अनुश खान)
मोहम्मद इदरीस खान
10/2, स्नेहलतागंज फ्लैट नं. 107,
चक्रदेव अपार्टमेंट, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2119)

नाम परिवर्तन

मैं, सत्यम सिंह (Satyam Singh) आत्मज कृपांजय सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे सभी शासकीय- अर्धशासकीय दस्तावेजों मेरा नाम सत्यम सिंह (Satyam Singh) दर्ज है जो कि सही है परंतु मेरे आधार कार्ड में लिपिक त्रुटि से मेरे नाम मोजिश पटेल S/o कमलेश पटेल दर्ज हो गया जो कि गलत है. इस विज्ञप्ति के बाद मुझे सत्यम सिंह (Satyam Singh) S/o कृपांजय सिंह के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा, पढ़ा एवं लिखा जाए.

पुराना नाम

(मोजिश पटेल)
S/o कमलेश पटेल

नया नाम

(सत्यम सिंह)
(Satyam Singh)
S/o कृपांजय सिंह (Kripanjay Singh)
43 lardgang Thane ke pichhe police quarter,
Jawahargang ward Jabalpur

(G-2120)

नाम परिवर्तन

हम अकरम अली एवं हिना बी सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हमारे पुत्र के सभी शासकीय-अर्धशासकीय प्रपत्रों में उसका नाम आहद अली (Ahad Ali) S/o अकरम अली अंकित है जो कि सही है. उसके आधार कार्ड में त्रुटि से उसका नाम अरसाद अली (Arsad Ali) S/o Akram Ali अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस विज्ञप्ति के उपरांत उसे आहद अली (Ahad Ali) S/o अकरम अली (Akram Ali) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(अरसाद अली)

(आहद अली)

(Arsad Ali)

(Ahad Ali)

S/o अकरम अली (Akram Ali)

125, आहाता कला शाह बरखेड़ी, भोपाल (म.प्र.)

(G-2121)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Tarak Associates Registered office at Village Mangrola, Chintaman Road, Ujjain M.P. and Registration No. is 07-33-01-0100-22, dated 26-09-2022, which was constituted *vide* Partnership deed executed on 29-03-2022.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 24-05-2023, Both running partners of the firm Shri Sanjay Bapna and Shri Kamal Kumar Makhija have decided to change the principle place of firm from village Mangrola, Chintaman Road, Ujjain, M.P. to Shop No. 03, 130, Santram Sindhi Colony, Ujjain M.P. w.e.f. 24-05-2023.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 05-10-2023, Shri Chetan Kevlani S/o Shri Maghrajmal Kevlani has joined the firm as a new partner.

Now, 1. Shri Sanjay Bapna, 2. Shri Kamal Kumar Makhija and 3. Shri Chetan Kevlani are the running Partners of the firm.

M/S. Tarak Associates,

SANJAY BAPNA

(Partners)

(G-2122)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग—बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.02/बी-113/2021-22

(नियम पांच-1 देखिए)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक चरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदन-पत्र श्री महावीर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ तुलसी सरोवर, लालबाग, बुरहानपुर द्वारा सचिव श्री नीलेश कुमार पिता प्रेमचंद मुथा, निवासी नारायण नगर, लालबाग, जिला बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 10 अगस्त 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. श्री महावीर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ तुलसी सरोवर, लालबाग, बुरहानपुर वर्किंग ट्रस्टी सचिव श्री नीलेश कुमार पिता प्रेमचंद मुथा, निवासी नारायण नगर, लालबाग, तहसील एवं जिला बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति : 50000/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

जारी दिनांक 27 सितम्बर 2023

(G-2123)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.02/बी-113/2023-24

विदिशा, दिनांक 06 अक्टूबर 2023

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

आवेदक श्री राजेन्द्र पुत्र श्री विष्णु प्रसाद शर्मा अध्यक्ष राधा जी मंदिर ट्रस्ट वृंदावन गली, नंदवाना विदिशा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 6 नवम्बर 2023 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 6 नवम्बर, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | राधा जी मंदिर ट्रस्ट |
| और पता | : | वृंदावन गली नंदवाना, विदिशा. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |

(G-2124)

शितिज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक .

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर

क्र./पंजीयन/2023/1874

सागर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), रुसल्ला, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) रुसल्ला, पंजीयन क्रमांक 887 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करे.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2125)

क्र./पंजीयन/2023/1875

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), तेवरा, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035 भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) तेवरा, पंजीयन क्रमांक 921 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2126)

क्र./पंजीयन/2023/1876

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), धांगर, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) धांगर, पंजीयन क्रमांक 27 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2127)

क्र./पंजीयन/2023/1877

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), विनायठा, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) विनायटा, पंजीयन क्रमांक 887 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2128)

क्र./पंजीयन/2023/1878

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), भीलोन, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) भीलोन, पंजीयन क्रमांक 187 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2129)

क्र./पंजीयन/2023/1879

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), सिलौधा, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) सिलौधा, पंजीयन क्रमांक 29 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2130)

क्र./पंजीयन/2023/1880

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), गढ़ौला जागीर, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) गढ़ौला जागीर, पंजीयन क्रमांक 902 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2131)

क्र./पंजीयन/2023/1881

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), खजराहरचंद, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) खजराहरचंद, पंजीयन क्रमांक 183 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2132)

क्र./पंजीयन/2023/1882

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), बरोदिया नौनगर, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बरोदिया नौनगर, पंजीयन क्रमांक 758 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2133)

क्र./पंजीयन/2023/1883

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), झारई, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) झारई, पंजीयन क्रमांक 02 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2134)

क्र./पंजीयन/2023/1884

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), बहरोल सिंगपुर, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बहरोल सिंगपुर, पंजीयन क्रमांक 926 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय

अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2135)

क्र./पंजीयन/2023/1885

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), उजनेठ, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) उजनेठ, पंजीयन क्रमांक 916 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2136)

क्र./पंजीयन/2023/1886

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), बारधा, शाखा-खुरई.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बारधा, पंजीयन क्रमांक 823 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2137)

क्र./पंजीयन/2023/1888

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), धनौरा, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) धनौरा, पंजीयन क्रमांक 643 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2138)

क्र./पंजीयन/2023/1889

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), रामपुर हींगटी, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) रामपुर हींगटी, पंजीयन क्रमांक 661 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2139)

क्र./पंजीयन/2023/1890

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), किरावदा, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) किरावदा, पंजीयन क्रमांक 324 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2140)

क्र./पंजीयन/2023/1891

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), सेमरखेड़ी, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) सेमरखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 615 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2141)

क्र./पंजीयन/2023/1892

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), आगासौद, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) आगासौद, पंजीयन क्रमांक 614 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2142)

क्र./पंजीयन/2023/1893

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), धरमपुर पुरैना, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र

क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) धरमपुर पुरैना, पंजीयन क्रमांक 327 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2143)

क्र./पंजीयन/2023/1894

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), कंजिया, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) कंजिया, पंजीयन क्रमांक 702 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2144)

क्र./पंजीयन/2023/1895

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), बिलाखना, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बिलाखना, पंजीयन क्रमांक 712 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16

की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2145)

क्र./पंजीयन/2023/1896

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), बिहरना, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बिहरना, पंजीयन क्रमांक 988 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2146)

क्र./पंजीयन/2023/1897

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), भानगढ़, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) भानगढ़, पंजीयन क्रमांक 982 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।
(G-2147)

क्र./पंजीयन/2023/1898

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), पिपरासर, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) पिपरासर, पंजीयन क्रमांक 704 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।
(G-2148)

क्र./पंजीयन/2023/1899

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
मर्या., (बी-पैक्स), मण्डीबामौरा, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) मण्डीबामौरा, पंजीयन क्रमांक 776 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय

अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2149)

क्र./पंजीयन/2023/1901

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), गढ़ापड़रिया, शाखा-बीना.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/साख/विधि/2023/680, भोपाल, दिनांक 24-02-2023 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/सी.पी.ओ.-0066/2023/15-3, दिनांक 17-02-2023 का सन्दर्भ उल्लेखित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रदेश की ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में, जहां पैक्स का मुख्यालय न हो, वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, के पत्र क्र./साख/विधि/2023/2035, भोपाल, दिनांक 19-07-2023 के द्वारा नवीन पैक्स के पुनर्गठन हेतु सागर जिले के लिए 205 नवीन पैक्स के गठन का लक्ष्य नियत करते हुए पत्र क्र./साख/विधि/2023/2398, भोपाल, दिनांक 29-08-2023 में नियत कार्यक्रम अनुसार पुनर्गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) गढ़ापड़रिया, पंजीयन क्रमांक 468 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को शासन के निर्देश के परिपालन में एवं जिले के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सोसायटी को दो/तीन सोसायटियों में विभाजित करके पुनर्गठन करें।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 20-11-2023 तक मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-2150)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.